

MD
15/02/23

प्रेषक,

बिनीत कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

SSO-III (P)

ई पत्रावली संख्या- 48762

430

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

देहरादून: दिनांक 14 फरवरी 2023

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- भारत की अध्यक्षता में होने वाले G-20 समूह के देशों के दो कार्यक्रमों का आयोजन उत्तराखण्ड राज्य में किये जाने हेतु की जाने वाली तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र- नरेन्द्र नगर एवं देहरादून के विधानसभा क्षेत्र- डोईवाला के अन्तर्गत विभिन्न 03 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र.का., लोक निर्माण विभाग, पौड़ी एवं देहरादून द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों, जिनमें मोटर मार्गों की सम्मिलित लम्बाई 13.50 किमी. एवं लागत, ₹576.18 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹576.18 लाख (रुपये पाँच करोड़ छियहत्तर लाख अठारह हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 03 कार्यों हेतु ₹0.30 लाख (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराने समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट

CE (P)/CE (Pamir)

मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

AO (P-I)

15/02/23

इं० जी० वि०
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारीजी० वि०
15-2-23

- मैन्युअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- viii. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- ix. यदि विषयगत कार्यों को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- x. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैन्युअल तथा उत्तराखण्ड प्रैक्टिसरमेंट रूल्स- 2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- xi. वर्तमान में व्यय हेतु अबमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2023 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xiii. विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVIII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या- 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य -03 राज्य सेक्टर-0302 तथा निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- I/98915/2023 दिनांक 13 फरवरी, 2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Vineet Kumar

Date: 14-02-2023 15:55:31

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पौड़ी/देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम/नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी/देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्ता, नि.ख./ अ.ख., लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्र नगर/ ऋषिकेश।
11. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

ई पत्रावली संख्या- 48762 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर में प्रस्तावित जी20- सम्मेलन के परिपेक्ष में नरेन्द्र नगर-पी.टी.सी.-काण्डाखेत मोटर मार्ग के किमी1. से 5 में क्षतिग्रस्त दीवारों एवं सतह सुधार के कार्य (विस्तृत आगणन)।	4.250	261.07	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर में प्रस्तावित जी20- सम्मेलन के परिपेक्ष में सड़क सुरक्षा कार्य 2022-23 के अन्तर्गत नरेन्द्र नगर-पी.टी.सी.-काण्डाखेत मोटर मार्ग के किमी1-5. में सड़क सुरक्षा के कार्य (विस्तृत आगणन)।	4.250	216.82	0.10
3	राज्य योजना के अंतर्गत (G-20 सम्मेलन) विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में ऋषिकेश-भानियावाला मोटर (एस.एच.-24) के किमी12. से 16 (चैनेज 11.000 से चैनेज 16.000 तक) में रोड साइनेज एवं प्लान्टेशन का कार्य (विस्तृत आगणन)।	5.00	98.29	0.10
कुल योग :- कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून		13.50	576.18	0.30



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक- 164 / 20 यातायात/सिग्नल by Shyam Singh

Date: 14-02-2023 15:58:18

(श्याम सिंह)

संयुक्त दिनांक- 17/ 02/ 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग पौड़ी/देहरादून।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, 08/09 वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी/देहरादून।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर/ऋषिकेश।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 5- अपर सहायक अभियन्ता प्रावधिक/बजट वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

(13)

अधिकारी